न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 761/2022

अनवान : –

1. दीपचन्द पुत्र हाकम राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर – **वादी**

बनाम्

1. हाकमराम पुत्र मुलाराम पुत्र जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री हाकमराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :–श्री रविन्द्र गोदारा –**वादी**
श्री अन्जनी कुमार –**प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 28.12.2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 156/3 के खाता संख्या 321/291 के कुल खसरा 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 304/270 खसरा नं0 388/2 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि व रोही मौजा 20 आर. डब्ल्यु डी तहसील नोहर के खाता संख्या 157/159 का कुल खसरा 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8600 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब इकबाल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

साक्ष्य वादी में दीपचन्द के [illegible] मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक

हिस्सा निहित है। वादी को घरेलू जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमति प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अत : मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्रि किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 321/291 के कुल खसरा 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 304/270 खसरा नं0 388/2 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि व रोह मौजा 20 आर. डब्ल्यु डी तहसील नोहर के खाता संख्या 157/159 का कुल खसरा 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8600 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें रोही मौजा टोपरिया व रोही मौजा ढण्ढेंला की कृषि भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 हाकमराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। रोही मौजा 20 आर.डब्ल्यू. डी बी के खाता सं0 157/159 की कुल 0.8600है0 प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जाकर शेष वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 हाकम राम का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है । इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 156/3 के खाता संख्या 321/291 के कुल खसरा 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 304/270 खसरा नं0 388/2 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 हाकम राम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हाकमराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी दीपचन्द पुत्र हाकमराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद–विवाद नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर, नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 761 / 2022

अनवान : —

1. दीपचन्द पुत्र हाकम राम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर — **वादी**

बनाम्

1. हाकमराम पुत्र मुलाराम पुत्र जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री हाकमराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री अंजनी कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डीक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता सं0 156 / 3 के खाता संख्या 321 / 291 के कुल खसरा 5 का कुल क्षेत्रफल 1.2650 है0 व ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 304 / 270 खसरा नं0 388 / 2 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 हाकम राम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हाकमराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी दीपचन्द पुत्र हाकमराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा वाद—विवाद नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:06:27 IST
Reason: SelfAttested